न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1670–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 301/2009–10/अपील.

जगन्नाथ पुत्र भागीराथ कुलम्बी
निवासी ग्राम रायपुरिया
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

अम्बाराम मृत तर्फे वारिसान
1– कानजी पुत्र अम्बाराम कुल्मी
2– रमेश पुत्र अम्बाराम कुलम्बी
निवासीगण ग्राम रायपुरिया
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
3– श्रीमती गीताबाई पिता अम्बाराम
निवासी सदर .....अनावेदकगण

श्री दीपक परमार, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 4/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक अनावेदक अम्बाराम द्वारा तहसीलदार, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक 330 रकबा 0.03 है, का सीमांकन दिनांक 10–6–06 को राजस्व निरीक्षक वृतत कमांक 2 रायपुरिया एवं हल्का पटवारी द्वारा पड़ोसी कृषकों एवं पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन

किया गया था, जिसमें मृतक अनावेदक की भूमि के पश्चिमी भाग के रकबा 0.02 आरे पर आवेदक जगन्नाथ एवं पूर्वी भाग के रकबा 0.01 आरे पर गिरधारी का अनधिकृत कब्जा पाया गया है । सीमांकन के आधार पर गिरधारी द्वारा अनधिकृत कब्जा मृतक अनावेदक को सौप दिया है, किन्तु आवेदक द्वारा अभी तक अनधिकृत कब्जा नहीं छोड़ा गया है, अतः कब्जा वापिस दिलवाया जाये । तहसीलदार द्वार प्रकरण कमांक 9/अ–70/2005–06 दर्ज कर दिनांक 30–11–09 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–6–10 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–10–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03–1–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीकशन कमांक 1792 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17–1–2014 के पालन में प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया है ।

3/ दिनांक 21–6–2017 को अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदक की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया गया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 330 क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर भूमि यद्यपि अनावेदक पक्ष के नाम अंकित है, किन्त उक्त भूमि नक्शे में रास्ते के रूप में दर्शाई गई है । ऐसी स्थिति में

अनावेदक पक्ष द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्ती योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का आधिपत्य होने की जानकारी अनावेदक पक्ष को विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से है, जिसे अनावेदक पक्ष ने अपने कथन में स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में तथाकथित रूप से किये गये सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पुत्र का मकान बना हुआ है, जो कि सीमांकन प्रतिवेदन से प्रमाणित है, किन्तु सीमांकन की कोई सूचना आवेदक अथवा उसके पुत्र को नहीं दिया गया है ।

(4) यदि कृषि भूमि का आधिपत्य पड़ोसी भूमिस्वामी के पास पाया जाता है, तब संहिता की धारा 250 लागू होती है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर मकान निर्मित हो, तब संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सहित इस न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है ।

(5) तहसीलदार ने संहिता की धारा 250 के मुख्य तीन घटक जो आवश्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए, उसके अभाव में अनावेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया है, किन्तु तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सहित इस न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में तहसील न्यायालय में हुए उभय पक्ष के कूट परीक्षण तथा अन्य साक्षियों के कूट परीक्षण पर बिना विचार किये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय द्वारा भी अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(7) तहसीलदार पेटलावद के राजस्व प्रकरण 09/अ–70/2005–06 में आवेदक द्वारा उसके कब्जे से संबंधित दस्तावेजों व कब्जे से संबंधित छायाचित्रों तथा सी.डी. आदि प्रस्तुत की थी, जो तहसीलदार के न्यायालय द्वारा चिन्हित व प्रदर्शित भी हुई थी, किन्तु

उनका अवलोकन किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक भूल की है ।

(8) संहिता की धारा 250 के मूलभूत तीन सिद्धांतों में पहला विवादित भूमि का स्पष्ट वर्णन, दूसरा क्या आवेदक विवादित भूमि पर कभी विधि के प्रकम में काबिज रहा था व किस तरह से रहा था । तीसरा आवेदक को अनावेदक द्वारा किसी दिन व किस तिथि को व किस प्रकार से बेदखल किया गया था । इस तरह अनावेदक के संहिता की धारा 250 के दावे में इन तीनों तथ्यों का ना तो समावेश था और न ही विचारण के दौरान तहसीलदार के न्यायालय में इन तीनों वैधानिक मुद्दों का किसी भी रूप से सिद्ध आदि भी नहीं किया गया था । संहिता के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान दिये बगैर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में भूल की गई है ।

(9) संहिता की धारा 250 के प्रकरण कमांक 09/अ–70/05–06 में विचारण के दौरान हुये आवेदक एवं अनावेदक के कूट परीक्षणों तथा अन्य साक्षियों के कूट परीक्षणों पर विचार किये बगैर व अवलोकन किये बगैर दिनांक 2–6–10 का आदेश पारित कर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक भूल की है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने भी भूल की है ।

(10) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में दोनों ही अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटि की है ।

(11) अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म अध्ययन किये बिना उक्त तहसील आदेश को निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

(12) अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से परे जाकर तथा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि सीमांकन दिनांक 10–6–06 से स्पष्ट है कि अनावेदक पक्ष की भूमि पर आवेदक का अनिधकृत कब्जा है, अतः तहसीलदार को चाहिए था कि वे आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि

से बेदखल कर अनावेदक पक्ष को प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य सौंपते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अनावेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय द्वारा की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा विपरीत आधिपत्य के आधार पर निषेधाज्ञा की मॉग की गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के संबंध में आवेदक द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई है इसलिये कब्जे को प्रमाणित करने के लिये अतिरिक्त साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त निगरानी मेमों में आवेदक की ओर से जो भी आधार उठाये गये हैं उन सभी पर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकारोक्ति दी गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि रास्ते के संबंध में दर्शाई गई है, अतः संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, क्योंकि स्पष्टतः आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है इसलिये संहिता की धारा 250 लागू होगी । निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार भी निरस्ती योग्य है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 25 वर्षो से अवैध कब्जा होना दर्शाया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर कब्जे की जानकारी होना अभिलेख से परिलक्षित होता है । निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार भी उचित नहीं है कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक एवं उसके पुत्र को सूचना नहीं दी गई है और उनका

मकान निर्मित होने से संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रथमतः संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही में अम्बाराम को सूचना दी गई है और वह उपथित भी हुये हैं। इसके अतिरिक्त अनावेदकगण द्वारा स्वयं प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना स्वीकार किया गया है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण सहित साक्ष्यों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया जाना स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 250 के तीनों घटकों को प्रमाणित पाते हुये आदेश पारित किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय में आई समस्त साक्ष्य पर विचार करते हुये आदेश पारित किया गया है इसलिये इस संबंध में भी निगरानी मेमों में उठाया गया आधार अमान्य किये जाने योग्य है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर